न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 09/17 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :-

1. सुरेश पुत्र प्रहलाद
2. राजपाल पुत्र मंगतराम पुत्र प्रहलाद
3. राजेन्द्र
4. राजेश पुत्र ब्रजलाल
5. सुनील
6. अशोक पुत्रान निरंजन पुत्र ब्रजलाल
7. संतोष पत्नी निरंजन पुत्र ब्रजलाल जातियान अहीर निवासीयान ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:--- अपीलांटस/असल प्रतिवादीगण

बनाम

1 घमण्डीलाल
2 महेन्द्रसिंह पुत्रान सूरजभान
3 रतनलाल
4 जयसिंह पुत्रान प्रभू
जातियान अहीर निवासीयान ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:--- असल रेस्पो0/वादीगण /प्रार्थीगण

भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

5 तहसीलदार, भू0 अ0 तिजारा जिला अलवर

6 बिमला देवी

7 रामरती पुत्रीयान सूरजभान जाति5यान अहीर निवासीयान ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, तिजारा

दिनांक 13.01.2017

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री प्रेम कुमार शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :- श्री रामेश्वर दयाल

निर्णय दिनांक 2.7.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 170/16 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 13.1.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थीगण वादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण प्रार्थीगण ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 373 रकबा 87 एयर वाके ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा विवादित है । उक्त आराजी पक्षकारान की सह खातेदारी की है, जिसमें प्रार्थीगण तथा तरतीबी प्रतिवादीगण का 1 बीघा 19 बिस्वा है । उक्त आराजी का आपसी बंटवारा किया हुआ है । हम प्रार्थीगण वादीगण तथा तरतीबी प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर काबिज है, परन्तु असल प्रतिवादीगण मज़ाहमत करते हैं प्रार्थीगण और तरतीबी प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की आराजी रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में बोरिंग मय बिजली लगा रखी है । अप्रार्थीगण का अलग हिस्सा रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा है, जिस पर वे काबिज है । परन्तु वे लोग प्रार्थीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में मजाहमत करते हैं । अतः

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांटस का कथन है कि तहत न्यायालय का निर्णय विधिसंगत नहीं है । कानूनन सह खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अभी अबट है । अविभाजित आराजी पर प्रत्येक सह खातेदार का एक एक इंच पर कब्जा माना जाता है । ऐसी स्थिति में टी0 आई0 जारी नहीं की जा सकती । तहत न्यायालय ने हमको पाबन्द कर दिया और रेस्पो0 को खुला छोड दिया । ऐसी स्थिति में वे आराजी के किसी भी हिस्से में निर्माण कर देंगे । हम पर सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी और ना ही हमको सुनवाई का अवसर दिया । बिना सुने पारित किया गया निर्णय विधि विरूद्ध होता है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने धारा 212 के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी का पूर्व में ही आपसी बटवारा हो चुका है । सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है । हम प्रार्थीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा पर काबिज है,परन्तु ये लोग हमारे हिस्से में मजाहमत करने लगे । इसलिये इनको सही तौर पर पाबन्द किया गया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित आराजी सह खातेदारी की आराजी है । धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु न्यायालय को निम्नलिखित 3 बिन्दुओं प्रथम दृष्टतया मामला, नापूर्तिजनक क्षति तथा सुविधा का सन्तुलन पर अपना विवेचन देना होता है, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इन बिन्दूओं पर अपना कोई विवेचन नहीं दिया । मात्र इतना सा लिख दिया कि सह खातेदारी की भूमि में प्रत्येक खातेदार का समंस्त भूमि पर सह अधिकार होता है, इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

स्वीकार योग्य पाया जाता है । तहत न्यायालय का यह आदेश स्पिकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है । तहत न्यायालय को चाहिये था कि वो समस्त राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर धारा 212 के तीनों बिन्दुओं पर अपना विवेचन देते । अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण रिमांड किये जाने योंग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.1.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तीनों बिन्दूओं को विवेचित कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 5.8.2019 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner